न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका)

वाद संख्या :— 02 / 210 / 2013

सुभाष बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 29.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 19.08.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 673 / 0.80 है. वाके ग्राम नयागांवबोलका तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 20.10.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा न करें व नवीन रास्ता कायम न करें बाबत् जारी की गई थी तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामील हेतु बार बार अवसर दिए जाने के बाद भी नोटिस पेश कर पालना नहीं की गई है। इस कारण से उक्त प्रकरण वर्ष 2013 से विचाराधीन है जिसका निस्तारण तामील के अभाव में गत 5 वर्षो से नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 673 / 0.80 है. वाके ग्राम नयागांवबोलका तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 19.08.2013 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका)